न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,डीग

मि0न0 004/2023(जी.सी.एम.एस. 2023/17)

पीठासीन अधिकारीः- श्री देवी सिंह (R.A.S)

उनवान

1. महावीर सिंह
2. रघुवीर सिंह } पुत्रगण पीतो पुत्र जोरावर सिंह
3. वेदवीर सिंह पुत्र श्यामवीर सिंह पुत्र जोरावर सिंह

} जातियान जाट नि0 कठैराचौथ तहसील व जिला डीग

-सायलान

बनाम

1. श्यामवीर पुत्र स्व. श्री जोरावर सिंह
2. पुष्पा पत्नी समुन्द्र सिंह
3. उदय सिंह पुत्र श्यामवीर सिंह

} जातियान जाट नि0 कठैराचौथ तहसील व जिला डीग

-गैर सायलान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत
धारा 212 आर.टी.एक्ट,

निर्णय

दिनांकः 14.05.2025

सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट, इस आशय के साथ पेश किया गया कि आराजी खसरा नम्बरान 1223/0.15, 495/0.05, 499/0.07 कुल किता-3 कुल रकबा 0.27 हैक्टे0 खाता संख्या नया 64, खसरा नम्बरान 1064/0.11, 1065/0.08, 1066/0.12, 1068/0.12, 269/0.19, 272/0.18, 273/0.12, 275/0.11, 277/0.23, 282/0.27, 283/0.29, 284/0.36, 312/0.19 कुल किता-13 कुल रकबा 2.37 हैक्टे0 खाता संख्या नया 99, खसरा नम्बर 1141/0.20, खाता संख्या 49 नया, खसरा नम्बर 487/0.19 खाता संख्या नया 50, खसरा नम्बरान 1204/0.23, 1205/0.23, 1206/0.26, 1209/0.21, 1210/0.23 कुल किता-5 कुल रकबा 1.16 हैक्टे0 खाता संख्या नया 100 वाके ग्राम कठैराचौथ तहसील डीग में स्थित है। सायलान एवं गैर सायलान असल व तरतीवी के संयुक्त खातेदारी कब्जे काश्त की पैत्रिक आराजी है। जिस पर हम सायलान एवं तरतीवी गैर सायलान एवं असल गैर सायलान संयुक्त रूप से ही बतौर खातेदार काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे थे। गैर सायल संख्या 1 असल श्यामवीर पुत्र जोरावर का हिस्सा सम्पूर्ण सायल संख्या 01 महावीर पुत्र पीतो ने तीन साल तक पट्टे पर लिया हुआ है। पट्टे की राशि दस हजार रूपया प्रति वीघा प्रतिबर्ष की दर से श्यामवीर

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

को चुकता कर दी गई थी तथा सायल महावीर तभी से उक्त हिस्से पर काबिज होकर काश्त करने लगा तथा आज भी मौके पर सायल महावीर सिंह की फसल गेहूँ व लाहा मौके पर खडी है लेकिन आराजी खसरा नम्बरान 282/0.27, 283/0.29, 284/0.36 किता-3 का रकबा 0.92 हैक्टे0 का हिस्सा 1/2 दिनांक 19.12.2022 को श्रीमति पुष्पा पत्नी समुन्द्र सिंह जाति जाट निवासी कठैराचौथ को व एवज 5 लाख रूपया में बाला ही बाला चोरी से बेचान की गई आराजी पर सायल आज भी काबिज है एवं सायल संख्या 3 वेदवीर सिंह का जन्म से ही आ.मु.में गैर सायल संख्या 1 श्यामवीर का पुत्र होने के नाते अपने पिता के खातेदारी कब्जे काश्त में 1/2 हिस्सा पुश्तैनी आराजी होने के कारण जन्म से ही मालिकाना अधिकार प्राप्त है जिसके जन्मजात अधिकार है। अतः निवेदन है कि सायलान का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट स्वीकार फरमाया जाकर गैर सायलान को स्थाई निषेधाज्ञा से पावंद फरमाया जावे कि वर्णित आराजी पर मजाहमत मदाखलत नहीं करें व रिकार्ड व मौके की यथा स्थिति बनायें रखें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर सम्बन्धित गैर सायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 03.02.2023 को श्री प्रवीण चौधरी अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 141 जा.दी. पेश किया गया। प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का जबाव दिनांक 09.03.2023 को पेश किया गया। दिनांक 06.07.2023 को प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. पर उभय पक्ष को सुना गया। जिसमें वकील प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. को नॉट-प्रेस किया गया। जिस पर प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया गया।

दिनांक 20.07.2023 को गैर सायलान संख्या 1,2,3 की ओर से जबाव प्रार्थना पत्र पेश किया गया। दिनांक 05.05.2025 को बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई।

हालांकि पक्षकारों के अधिकार मूल वाद में साक्ष्य द्वारा तय किये जायेंगे। वर्तमान मामले में न्यायालय को **प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति** का बिन्दु मुख्य रूप से देखना है।

<u>प्रथम दृष्ट्या प्रकरण :-</u> वकील सायल का कथन रहा कि आराजी खसरा नम्बरान 1223/0.15, 495/0.05,499/0.07 कुल किता-3 कुल रकबा 0.27 हैक्टे0 खाता संख्या नया 64, खसरा नम्बरान 1064/0.11, 1065/0.08, 1066/0.12, 1068/0.12, 269/0.19, 272/0.18, 273/0.12, 275/0.11, 277/0.23, 282/0.27, 283/0.29, 284/0.36, 312/0.19 कुल किता-13 कुल रकबा 2.37 हैक्टे0 खाता संख्या नया 99, खसरा नम्बर 1141/0.20, खाता संख्या 49 नया, खसरा नम्बर 487/0.19 खाता संख्या नया 50, खसरा नम्बरान 1204/0.23, 1205/0.23, 1206/0.26, 1209/0.21, 1210/0.23 कुल किता-5 कुल रकबा 1.16 हैक्टे0 खाता संख्या नया 100 वाके ग्राम कठैराचौथ तहसील डीग में स्थित है जोकि उभय पक्षकारान की संयुक्त खातेदारी की आराजीयात है। जिस पर प्रथम दृष्ट्या प्रकरण सायलान के पक्ष में प्रतीत है।

<u>सुविधा का संतुलन :-</u> उक्त प्रकरण में प्रथम दृष्ट्या केस सायलान के पक्ष में प्रमाणित हुआ है। न्यायालय के स्थगन आदेश जारी न होने से सायलान प्रभावित हैं। ऐसी स्थिति में सुविधा का संतुलन का बिन्दु गैर सायलान के पक्ष में ना होकर सायलान के पक्ष में प्रमाणित है।

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

पूर्णीय क्षति :- संयुक्त खातेदारी की आराजी होने से सायलान के हक प्रभावित होना स्वभाविक है। ऐसी स्थिति में बिना स्थगन आदेश जारी गैर सायलान के द्वारा अन्य आराजी को भी बेचान किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अपूर्णीनीय क्षति सायलान के पक्ष में प्रतीत है।

प्रथम द्रष्ट्या प्रकरण सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति सिद्व करने में गैर सायलान असफल रहे है। अतः सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट का अन्तिम निरतारण करते हुए दावे के अन्तिम निस्तारण होने तक गैर सायलान के विरूद्व स्थगन आदेश जारी किया जाना उचित समझते है।

अतः आदेश है कि:-

सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट, स्वीकार किया जाता है। दावा अन्तर्गत 53,88,89 व 188 आर.टी.एक्ट के निर्णय/अन्तिम निस्तारण होने तक विवादित आराजी खसरा नम्बरान 1223/0.15, 495/0.05, 499/0.07 कुल किता-3 कुल रकबा 0.27 हैक्टे0 खाता संख्या नया 64, खसरा नम्बरान 1064/0.11, 1065/0.08, 1066/0.12, 1068/0.12, 269/0.19, 272/0.18, 273/0.12, 275/0.11, 277/0.23, 282/0.27, 283/0.29, 284/0.36, 312/0.19 कुल किता-13 कुल रकबा 2.37 हैक्टे0 खाता संख्या नया 99, खसरा नम्बर 1141/0.20, खाता संख्या 49 नया, खसरा नम्बर 487/0.19 खाता संख्या नया 50, खसरा नम्बरान 1204/0.23, 1205/0.23, 1206/0.26, 1209/0.21, 1210/0.23 कुल किता-5 कुल रकबा 1.16 हैक्टे0 खाता संख्या नया 100 वाके ग्राम कठैराचौथ तहसील डीग में स्थित है, पर रिकार्ड व मौके की यथा स्थिति बनाये रखने, रहन वय मुन्तकिल नहीं किये जाने तथा निर्माण कार्य नहीं किये जाने हेतु गैर सायलान को स्थाई निषेधाज्ञा से पावंद किया जाता है।

(देवी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

निर्णय आज दिनांक 14.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(देवी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner